न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

(41)

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1569–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–3–2014 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 119/2001–02 अपील

1– श्रीमती विद्यावाई पत्नि स्व. रामखेलावन
2– संतोष कुमार पुत्र स्व. रामखेलावन
निवासी ग्राम खेरवा कला तहसील मेहर जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– जगन्नाथ पुत्र जागेश्वरप्रसाद पाण्डेय
ग्राम खेरवा कला तहसील मेहर जिला सतना
2– श्रीमती विमलादेवी पुत्री स्व.रामखेलावन पत्नि
वी0के0मिश्रा ग्राम हिनौता तहसील मैहर जिला सतना
3– श्रीमती मिथलावाई पुत्री स्व.रामखेलावन पत्नि
सुनीलकुमार परोहा ग्राम अमदरा
त्हसील मेहर जिला सतना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री विजयकुमार मिश्रा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0के0पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 10 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 119/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–3–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार मेहर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम खेरवा कलां की भूमि सर्वे नंबर 165 शासकीय भूमि है जिसमें से उसका रास्ता है जिस पर रामखेलावन अवैध निर्माण करवा रहे है जिसे रूकवाया जावे। तहसीलदार मेहर ने प्रकरण कमांक 170 अ 68/1996-97 पॅजीबद्व किया तथा पूर्व प्रकरण/ कमांक 309 बी-121/1995-96 को संलग्न करते हुये आवेदन में अंकित तथ्यों की जॉच कराते हुये पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 10-4-2001 पारित किया तथा मौके पर अतिकमण कर अवरूद्व किये गये रास्ते को खोले जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, मेहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने प्रकरण कमांक 83/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-2001 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 119/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-3-14 से अपील खारिज कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 20-6-1996 को प्रतिवेदन देकर बताया है कि भूमि सर्वे नंबर 165 का नक्शा फटा हुआ है जिसके कारण नक्शे के मान से परिमाप नहीं किया जा सकता और बिना नाप किये हुये आवेदक को अतिक्रामक मानने में भूल की गई है और इस भूल पर अनुविभागीय अधिकारी मेहर तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने विचार नहीं किया है जिसके कारण तीनों न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाय एंव निर्देश दिये जावें कि नक्शा सही होने के उपरांत पुनः कार्यवाही की जाय।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि स्वर्गीय रामखेलावन एंव अब आवेदकगण जबरन मौके पर रास्ते पर दीवाल बनाकर कब्जा किये है एंव आम नागरिकों के आवागमन को अवरोधित किये है जिसके कारण मौके पर की गई जांच में अतिक्रमण पाया गया है जिसे नायव तहसीलदार मेहर ने पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 10-4-2001 से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये है इसलिये निगरानी निराधार होने से निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार मेहर के प्रकरण कमांक 170 अ 68/1996-97 में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि स्वर्गीय रामखेलावन के विरूद्व अतिक्रमण प्रकरण पूर्व में भी चला है जिसमें नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 15-6-96 पारित करके अतिक्रमण न होना निरूपित करके प्रकरण निरस्त था, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी मेहर के यहां होने पर प्रकरण कमांक 21 बी-121/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 27-10-97 से अपील ऑशतः स्वीकार करके प्रकरण तहसील न्यायालय के लिये पुनः जांच एंव सर्वे कमांक 165 के सीमांकन किये जाने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया है। नायव तहसीलदार ने दिनांक 8-12-2000 को स्थल निरीक्षण किया है एंव राजस्व निरीक्षक से जांच रिपोर्ट मॅगाई है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन की स्थिति को नायव तहसीलदार मेहर ने आदेश दिनांक 10-4-2001 में इस प्रकार अंकित किया है :-

" राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि अनावेदक रामखेलावन द्वारा जो पगरा का निर्माण किया गया है वह भूमि नं. 165 में है तथा 4 कड़ी दवता रकबा पर अतिक्रमण बताया गया है। स्थल निरीक्षण दिनांक 8-12-2000 को यह पाया गया कि अनावेदक रामखेलावन का जहां पगरा निर्माणाधीन है वहां पर मात्र 5 फिट रास्ता खुला हुआ है जो आवेदक जगन्नाथ के घर को जाता है। "

स्पष्ट है कि जब एक वार मामला अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने पुर्नजॉच के लिये वापिस किया है आवेदकगण को अनुचित लाभ की दृष्टि से मामला पुनः जांच के लिये प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता। नायव तहसीलदार मेहर द्वारा किये गये स्थल

निरीक्षण तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से आवेदकगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया है जिसके कारण नायव तहसीलदार मेहर के आदेश दिनांक 10-4-2001 को अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तहसीलदार मेहर के आदेश दिनांक 10-4-2001 में निकाले गये निष्कर्ष , अनुविभागीय अधिकारी मेहर द्वारा आदेश दिनांक 31-10-2001 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 119/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-3-14 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 119/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-3-14 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर